

UPBN010054462022



न्यायालय: अपर जिला जज, न्यायालय सं०-1, बदायूँ  
प्रकीर्ण सिविल अपील सं० १६/२०२२  
रामवीर शर्मा बनाम अनुपम शर्मा

१०.०४.२०२६

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गयी।

अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि पक्षकारों के मध्य समझौता हो चुका है। अतः वह अपील को चलना नहीं चाहता है। अपील वापस लिये जाने की याचना की गयी है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर विपक्षी की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि पक्षकारों के मध्य समझौता हो चुका है और वह अपील को चलाना नहीं चाहते हैं। अतः उक्त परिस्थितियों में अपील बल न दिये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

#### आदेश

प्रकीर्ण सिविल अपील, बल न दिये जाने के कारण निरस्त की जाती है।  
पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(कु० रिकू)

J.O. Code- UP 6101

अपर जिला जज

न्यायालय सं० -1 बदायूँ